न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
अनवान : –

1. नरसीराम रोहज पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. रोहिताश कुमार रोहज पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री राजपाल अधिवक्ता **प्रार्थीगण**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 5/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 23/24 की कुल 18.229है0 में प्रार्थीगण प्रत्येक के नाम 1/10 हिस्सा तथा खाता स0 24/25 की कुल 6.9830है0 में प्रार्थी स0 1 के नाम 7/20 हिस्सा तथा प्रार्थी स0 2 के नाम 1/10 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा मालिया के ही खाता स0 189/189 की कुल 1.6190है0 में प्रार्थी स0 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा खाता स0 147/149 की कुल 4.3690है0 में प्रार्थी स0 2 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वादी भूमि में प्रार्थी स0 1 का नाम नरसिह/नरसीराम तथा प्रार्थी स0 2 का नाम रोहिताष कुमार/रोहिताषकुमार है जबकि प्रार्थीगण का सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः नरसीराम रोहज व रोहिताश कुमार रोहज है जो प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, पहचान–पत्र, बैंक जोब आईडी आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम नरसीराम रोहज तथा रोहिताश कुमार रोहज दुरूस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी राजपेरोकार ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण स0 1 का सही नाम नरसीराम रोहज पुत्र कुम्भाराम तथा प्रार्थी स0 2 का सही नाम रोहिताश कुमार रोहज पुत्र कुम्भाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज के दौरान प्रार्थी स0 1 का नाम नरसिंह/नरसीराम तथा प्रार्थी स0 2 का नाम रोहिताष कुमार/रोहिताषकुमार दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:11 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 23/24 की कुल 18.229है0 में प्रार्थीगण प्रत्येक के नाम 1/10 हिस्सा तथा खाता

उपखण्डाधिकारी (राज0)
नोहर (हनुमानगढ)

स0 24/25 की कुल 6.9830है0 में प्रार्थी स0 1 के नाम 7/20 हिस्सा तथा प्रार्थी स0 2 के नाम 1/10 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा मालिया के ही खाता स0 189/189 की कुल 1.6190है0 में प्रार्थी स0 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा खाता स0 147/149 की कुल 4.3690है0 में प्रार्थी स0 2 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण अपना नाम क्रमशः नरसीराम रोहज पुत्र कुम्भाराम व रोहताश कुमार रोहज पुत्र कुम्भाराम दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पहचान–पत्र आदि में प्रार्थीगण का सही नाम नरसीराम रोहज पुत्र कुम्भाराम व रोहिताश कुमार रोहज पुत्र कुम्भाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र/पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 23/24 की कुल 18.229है0 में प्रार्थीगण प्रत्येक के नाम 1/10 हिस्सा तथा खाता स0 24/25 की कुल 6.9830है0 में प्रार्थी स0 1 के नाम 7/20 हिस्सा तथा प्रार्थी स0 2 के नाम 1/10 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा मालिया के ही खाता स0 189/189 की कुल 1.6190है0 में प्रार्थी स0 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा खाता स0 147/149 की कुल 4.3690है0 में प्रार्थी स0 2 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थीगण क्रमश नरसिंह/नरसीराम पुत्र कुम्भाराम व रोहिताष कुमार/रोहिताषकुमार पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर सही नाम नरसीराम रोहज पुत्र कुम्भाराम व रोहिताश कुमार रोहज पुत्र कुम्भाराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नरसिंह/नरसीराम पुत्र कुम्भाराम व रोहिताष कुमार/रोहिताषकुमार पुत्र कुम्भाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रामेश्वर पुत्र नरसिंह/नरसीराम पुत्र कुम्भाराम व रोहिताष कुमार/रोहिताषकुमार पुत्र कुम्भाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम नरसिंह/नरसीराम पुत्र कुम्भाराम व रोहिताष कुमार/रोहिताषकुमार पुत्र कुम्भाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 4.1.4.123 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:11 IST
Reason: SelfAttested